पंजीकृत पावती
उल्लंघन पत्र

भारत सरकार
Government of India
खान मंत्रालय
Ministry of Mines
भारतीय खान ब्यूरो
Indian Bureau of Mines

माखुपूरा औद्योगिक क्षेत्र,
Makhupura, Industrial Area
अजमेर.–305 002 (राजस्थान)
Ajmer- 305 002 (Rajasthan)

Mine Code: 30RAJ06002

संख्या : RAJ/BHL-439/IRON ORE-02

दिनांक : 22.12.2021

प्रेषित : M/s Jindal Saw Ltd.,
Araji No. 9697/6711, Near Tiranga Hills,
Village-Pur, Tehsil & District-Bhilwara 311 802 (Rajasthan)
E-mail: sunil.pandey@jindalsaw.com, dinesh.patil@jindalsaw.com

विषय : Violation of provisions of Mineral Conservation & Development Rules, 2017 in respect of your **Lampiya Iron Ore Mine** (M.L. 627/05, Lease area 433.1033 Hect.) in Bhilwara District of Rajasthan State.

महोदय,

The following provisions of the Mineral Conservation and Development Rules, 2017 were found violated in your above mine during the inspection made on 03.12.2021 & 04.12.2021 by the undersigned in presence of Shri Dinesh Patil, Mine Agent & Shri S.K. Trivedi, Mine Manager:

Rule No.	Nature of violation observed in detail
Rule 11(1)	The mining operations are carried out in violation of following provisions of approved Review of Mining Plan(Approved on 20.01.2020): - (i) Large quantity of ore & OB boulders were lying in the pit.
Rule 45(7)	In annual return 2020-21 following descripencies were observed: (i) In Part-IIA & Part-III depreciation amount has been shown as '0' whereas in cost of production Rs. 1.09 per tonne deprecioan has been shown. (ii) Under item 5 of Part-III, NMET amount should be shown under heading 'Central Govt' and DMF amount should be shown under heading 'State Govt'. (iii) Transportation cost should not be added in the cost of production. (iv) The cost of production per tonne shown in Part-VII is not matching with expenditures shown in part-II & Part-III.

02. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है एवं उपरोक्त नियमों का उल्लंघन की अनुपालना नही होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के अंतर्गत :

(क) आपकी खदान की सारी संक्रियाएं बंद की जा सकती है।
(ख) आपके विरूध्द अभियोग दायर किया जा सकता है।
(ग) खनन पट्टे को निरस्त करने की सिफारिश राज्य सरकार से की जा सकती है।

03. इस सबंध में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि नियम 45(7) के उल्लंघन के लिए खनिज संरक्षण एवं विकास (संशोधन) नियम 2021 की अनूसूची–2 के प्रावधान लागू होंगे।

04. अतः आपको यह निर्देशित किया जाता है कि आप आप उपरोक्त उल्लंघनों का अतिशीघ्र सुधार करें एवं इसके सुधार की स्थिति की सूचना इस पत्र के जारी होने की दिनांक से 45 (पैंतालीस) दिनों के भीतर इस कार्यालय को प्रेषित करें।

भवदीय
22/12/2021
(डी. आर. गुर्जर)
वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक
भारतीय खान ब्यूरो

O/C

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित :–

1 खान नियंत्रक (उत्तर), भारतीय खान ब्यूरो, उदयपुर (ई मेल द्वारा) ।
2 निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, उदयपुर।
3 खनि अभियंता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, भीलवाड़ा।
4 रक्षित पत्रावली।

22/12/2021
वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक
भारतीय खान ब्यूरो

O/C